



निगरानी प्र.क.

निगा - 1572-1872-16

प्रस्तुति दि.

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र., ग्वालियर,
केम्प इंदौर के समक्ष

श्रीमती संतोषीदेवी पति स्व. श्री सुभाषचंद्र

उर्फ राजकुमार बंसल

निवासी - रामकृष्णगंज, खंडवा जिला खंडवा

निगरानीकर्ता

विरुद्ध

कार्यालय आयुक्त इंदौर संभाग इन्दौर
श्री सुभाषचंद्र (335) 330
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 10/05/2016
को प्रस्तुत।

म.प्र. शासन

द्वारा कलेक्टर महोदय

335

10-05-2016

खण्डवा म.प्र.

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
प्रयाथा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959
के अन्तर्गत

महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निवेदन है कि -

माननीय अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर म.प्र. द्वारा राजस्व अपील क. 148/अपील/14-15 में पारित आदेश दि. 02.02.16 से दिखित एवं पीड़ित होकर उपरोक्त निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष सादर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

(Handwritten signature)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक R 1512-पीबीआर/16

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

[सतोषीदेवी / शासन]

जिला खण्डवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-5-2016	<p>आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 2-2-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत् जाँच कराई जाकर राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है एवं उक्त प्रतिवेदन में दर्शाई गई दर से ही भू-राजस्व रेन्ट, ग्राम पंचायत उपकर एवं प्रीमियम निर्धारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p><i>[Handwritten Signature]</i> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>